



उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

प्रधान कार्यालय: 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226 001

पत्रांक:- 31 / बै०शी०-लेखाबंदी / 1003-2308-047(1) / 22

दिनांक:- 14 / 06 / 2022

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई- तृतीय,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
कानपुर।

विषय: पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की लेखाबंदी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-607/AC-5/20 दिनांक-01/06/2022 के द्वारा निम्न विवरण के अनुसार योजना की लेखाबंदी से सम्बन्धित प्रपत्र प्रेषित किये गये:-

(धनराशि लाख रु० में)

कार्यक्रम- राज्य सेक्टर	योजना- गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में क्लीनिंग ऑफ ट्रंक सीवर (2000/2200 मिमी० व्यास) एलांग सीओडी नाला के कार्य					
स्वीकृति का सन्दर्भ- सं०-12/2016-3825/नौ-5-15-166बजट/2015 दि०-15/01/2016						
स्वीकृत धनराशि	खण्ड को प्राप्त धनराशि (कार्य मद व सेन्टेज)	योजना पर व्यय/भारित की गयी धनराशि			प्राप्ति के सापेक्ष बचत	टिप्पणी/खण्ड द्वारा बचत की धनराशि वापस किये जाने का संदर्भ
		कार्य मद	सेन्टेज	योग		
1	2	3	4	5	6 (2-5)	7
216.60	216.60	192.48	24.06	216.54	0.06	इकाई कार्यालय द्वारा बचत की धनराशि रु० 6,006 मात्र मुख्यालय को चेक सं०- 995835 दि०-27/05/22 द्वारा प्रेषित।

उक्त प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त, आप से अपेक्षा है कि योजना की लेखाबंदी किये जाने की कार्यवाही उ०प्र० जल निगम लेखा मैनुअल (सब्जेक्ट कोड-4.05, 6.11 व 6.12) में निहित प्राविधानों के क्रम में, जर्नल इन्ट्रीज के माध्यम से पूर्ण किया जाये। खण्ड/इकाई कार्यालय से प्राप्त ए०टी०डी० के सापेक्ष निम्नानुसार ए०टी०सी० निर्गत कर मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है-

क्र०सं०	प्राप्त ए०टी०डी०	निर्गत ए०टी०सी०	धनराशि (रु०)
1	सं०- 7952 दि०-27/05/2022	सं०- 3964 दि०- 14/06/2022	रु० 2,16,53,994 /-

कृपया तदनुसार लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजेश चौधरी)

मुख्य लेखाधिकारी।

पृ०सं० एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियंता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा।
3. गार्ड फाइल।

(उमा कान्त पुष्पकार)

सहायक लेखाधिकारी।